महत्वपूर्ण एवं खास

धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के चलते रायपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में इन दिनों धारा 144 जिला कलेक्टरों द्वारा लगाई गई है। धारा 144 का अर्थ है एक साथ पांच से अधिक लोग किसी चौक चौराहों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर खड़े नहीं हो सकते। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी के लिए लगाई गई रोकथाम का उल्लंघन सोनू तांडी आयु 35 वर्ष पिता राजाराम तांडी निवासी मारवाड़ी कब्रिस्तान ढाल में सात साथियों सहित किये जाने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सीएम की अपील : कोरोना संक्रमण से बचने नागरिक घरों में रहें

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार नागरिक ऐसा कोई काम ना करें जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाए, वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे-जैसे थर्ड स्टेज नजदीक आ रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक ही पॉजिटिव केस मिला है और वह भी कंट्रोल में है। यह छत्तीसगढ़ के लोगों की जागरूकता से ही संभव हो सका है। थोड़े दिनों 31 मार्च तक और सहयोग दें। प्रदेश के आम नागरिकों, व्यापारियों, मीडिया सहित सभी ने जैसा सहयोग पिछले 3 दिनों में दिया है वैसे ही 31 मार्च तक सहयोग दें क्योंकि बचाव में ही सबकी सुरक्षा है।

फेसबुक पर फर्जी वीडियो वायरल करने वाले को पुलिस से किया गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के चलते रविवार को जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री मोदी के आव्हान पर लगाया गया था। उक्त जनता कर्फ्यू के संबंध में उत्कर्ष गुप्ता निवासी तेलीबांधा द्वारा फेसबुक के माध्यम से गलत वीडियो वायरल कर लिखा गया कि घर के बाहर मत निकलो पुलिस कुटाई चालू है। उक्त असत्य बातें फेसबुक पर लिखने पर फर्जी वीडियो वायरल करने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया।

मास्क के लिए शॉर्ट टेंडर जारी

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के बचाव हेतु प्रदेश में मॉस्क की बढ़ती खपत को देखते हुए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन ने मास्क के साथ पीपीई किट, ग्लब्स के लिए टेंडर जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों द्वारा अब मास्क का उपयोग कर रहे है। जिसके चलते प्रदेश में मास्क की कमी होने लगी है। इसे देखते हुए सीजीएमएसई ने 20 मार्च को टेंडर जारी किया था और टेंडर जमा करने के लिए 23 मार्च को शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। आपदा प्रबंधन क्रय समिति ने मास्क की कमी को देखते हुए टेंडर कराया है। आपदा के समय भंडार क्रय नियम में छूट मिलती है, इसके कारण ही तीन दिन में पूरी प्रकिया की जा रही है। राज्य में स्थानीय खरीदी समिति भी बनी है।

सुकमा और बीजापुर में नक्सल अभियान में सहयोग के लिए दो अधिकारी हुए तैनात

» डीजीपी ने आदेश जारी किया

रायपुर (आरएनएस)। सुकमा में विगत 21 मार्च को घटित नक्सली घटना के परिपेक्ष में जिला सुकमा एवं बीजापुर में नक्सल अभियान में सहयोग के लिए दो अधिकारियों की ड्यूटी आगामी कुछ समय के लिए अस्थाई तौर पर लगाई गई है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक महासमुंद की ड्यूटी सुकमा जिले में और के एस ध्रुव सेनानी दसवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सरगुजा की ड्यूटी बीजापुर जिले में नक्सली अभियानों में मदद के लिए लगाई गई है।

आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए है।

लॉक डाउन लागू होने के बाद भी अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस दे रही समझाईश

» नियम का पालन नहीं होने पर केन्द्र सरकार के निर्देश पर पुलिस बरतेगी कड़ाई

रायपुर (आरएनएस)। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 166 नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च तक लॉक डाउन आज से लागू किया है।

राजधानी रायपुर में आज प्रथम दिन शंकरनगर क्षेत्र के टर्निंग पॉइंट, पुरानी बस्ती, भगत सिंह चौक क्षेत्र सहित शहर के अन्य चौक चौराहों में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की समझाईश देते हुए पुलिस कर्मियों ने घर में रहने की हिदायत दी। वहीं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लॉक डाउन की अवधि में नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी छत्तीसगढ़ द्वारा लॉक डाउन नियम के तहत अनावश्यक बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ 24 मार्च से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज पहला दिन होने के कारण अनेक शहरियों को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। उन्हें यातायात पुलिस के अमले ने एवं संबंधित थाना क्षेत्रों ने चौक-चौराहों में खड़े होकर घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह देते हुए जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही। पुलिस प्रशासन का यह नारा की आप घरों में रहे आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस बाहर मौजूद है। इन दिनों शहर में काफी लोकप्रिय हो रहा है। उक्त नारे की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा है।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन यान, ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन 31 तक स्थगित

» कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद होने पर भी घर-घर पहुंचकर रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण

बलौदाबाजार। आंगनबाड़ी के बच्चों को केन्द्र के बंद होने पर भी पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बच्चों के घर जाकर सूखी रेडी टू ईट भोजन पहुंचा रही है। अपने घर में ही पोषक भोजन सामग्री पाकर बच्चे और उनके अभिभावक खुश है।

जिले की 1 हजार 950 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 48 हजार बच्चों को इस योजना फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य दिनों में गरम भोजन खिलाया जाता है। लेकिन शासन के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद होने पर उन्हें इसके बदले सूखा पोषण सामग्री रेडी टू ईट के रूप में घर -घर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नॉवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद कर दिया गया है। शासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद रहने की उक्त अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य,मध्यम कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेडी टू ईट पोषक आहार 125 ग्राम प्रतिदिन के मान से एक सप्ताह के लिए 750 ग्राम टेक होम राशन के रूप में अनिवार्य रूप से वितरण करने के निर्देश दिए है। शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी टु ईट का वितरण यथावत् जारी रखने के निर्देश दिए गए है।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम खाद्यान्न प्रबंधन अप्रैल एवं मई का चावल आबंटन एकमुश्त जारी

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई 2020 का चावल एक साथ वितरण करने के निर्देश दिए है। दो माह का चावल एक साथ वितरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा एकमुश्त आबंटन जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर ने सभी राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य के दुकानों में वितरण के समय एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा है। साथ ही उचित मूल्य के दुकानों में आने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के हाथों को सफाई सेनिटाईजर अथवा साबुन पानी से कराने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों से चावल उत्सव का आयोजन कर चावल वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है। उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नहीं है।

डीजीपी के आदेश के बाद सुकमा-बीजापुर में नक्सल अभियान में सहयोग के लिए दो अधिकारी तैनात

रायपुर (आरएनएस)। सुकमा में विगत 21 मार्च को घटित नक्सली घटना के परिपेक्ष में जिला सुकमा एवं बीजापुर में नक्सल अभियान में सहयोग के लिए दो अधिकारियों की ड्यूटी आगामी कुछ समय के लिए अस्थाई तौर पर लगाई गई है। पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार श्री जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक महासमुंद की ड्यूटी सुकमा जिले में और श्री के एस ध्रुव सेनानी दसवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सरगुजा की ड्यूटी बीजापुर जिले में नक्सली अभियानों में मदद के लिए लगाई गई है।

नक्सल समस्या पर हुई महत्वपूर्ण बैठक

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार मौजूद रहे बैठक में

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एलमागुंडा क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 17 जवानों के शहीद होने के बाद सोमवार को बंद कमरे में नक्सल समस्या पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार सहित पुलिस डीजीपी डीएम अवस्थी सहित नक्सल अभियान से जुड़े पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, विधायक मोहन मरकाम, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार और पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी ने आज सुकमा पुलिस लाईन में सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमे अपने जवानों की बहादुरी पर गर्व है। जवानों ने नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री बघेल ने जवानों के हौसले को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। और आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने बंद कमरे में बैठक कर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार की है।

रेलवे ने काउंटर टिकटों के लिए रिफंड नियमों में दी ढील

» ई टिकट के लिए भी नियम रहेंगे समान

रायपुर (आरएनएस)। भीड़-भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी का अभ्यास करने के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने पीआरएस काउंटर जनरेटेड टिकटों के लिए रिफंड नियमों में ढील दी है। ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं, क्योंकि यात्री को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है।

यह छूट 21 मार्च-21 जून से यात्रा की अवधि के लिए है। यदि यात्रा अवधि के लिए रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन 21 मार्च - 21 जून तो यात्रा की तारीख से 3 महीनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (3 घंटे / 72 घंटे के अतिरिक्त नियम के बजाय)। एस हा ट्रेन रद्द नहीं हुई और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता तो टीडीआर (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीनों के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)। टीडीआर को सीसीओ या सीसीएम दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए टीडीआर दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धनवापसी हो सकती है। (10 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 03 महीनों के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के अतिरिक्त नियम के बजाय)।

मुख्यमंत्री-गृहमंत्री ने नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार और पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी ने

सुकमा पुलिस लाईन में सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने का फेक वीडियो वायरल, पुलिस ने किया अपराध दर्ज

बिलासपुर (आरएनएस)। पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, तो वही कुछ लोग सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर अफ्वाह फैला रहे है, और इसे लेकर मज़ाक बना रहे हैं। जिसे देखते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रदेश अब तक कोरोना वायरल को लेकर अफ्वाह फैलाने के 3 मामले सामने आए है। पहले भाटापारा में एक युवक के खिलाफदर्ज कर गिरफ्तार किया गया, फिर कवर्धा दो लोगों पर एफआईआर हुई, और अब बिलासपुर के सिविल लाइन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आज दोपहर एक वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में बिलासपुर 27 खोली निवासी एक युवती को कोरोना वायरस होना बताया जा रहा है, बिलासपुर की रहने वाली इस युवती को रहने वाली युवती को बुल्गारिया से आना बताया जा रहा है। इ? किसी ने उसे एडिट कर बाकायदा एक बड़े न्यूज का लोगो लगाया है, और इसे व्हाट्सएप में वायरल कर दिया।

इस बात की जानकारी जब उस युवती को हुई, तो वह घबराकर परिजनों के साथ सिविल लाइन थाना पहुंची, और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिविल लाइन पुलिस ने वीडियो को साइबर सेल की मदद से चेक कराया, तो वीडियो पूरी तरह से फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है, साथ ही वीडियो वायरल करने वालों से पूछताछ कर रही है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया, कि 27 खोली निवासी युवती ने उसे कोरोना पॉजिटिव होने का फेक वीडियो वायरल होने की शिकायत की है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।

साथ ही जिसने वीडियो वायरल किया उनकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा, कि यह वक्त इस तरह मजाक करने का नहीं है, और इस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया, कि वे इस तरह की भ्रामक खबरों को प्रचारित और प्रसारित करने का हिस्सा ना बनें।

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU